

235

342

निगं-3212/2018/सिंगरौली/म०प्र०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा



सेतबन्धु द्विवेदी तनय भानुजा प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम धनहा तहसील  
 देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०) .....आवेदक

बनाम

1. विभात कुमार पिता गोमती प्रसाद ब्रा० उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
2. त्रिभात कुमार पिता गोमती प्रसाद ब्रा० उम्र 42 वर्ष पेशा खेती दोनो  
 निवासी ग्राम धनहा तहसील देवसर थाना जियावन जिला सिंगरौली  
 (म०प्र०)
3. मुन्नीलाल पिता नथई काछी
4. दादे (मृतक)  
 (क)- समयलाल तनय दादे काछी  
 (ख)- संकठ तनय दादे काछी निवासी ग्राम गजरहिया तहसील व थाना  
 सरई जिला सिंगरौली (म०प्र०)
5. भाईलाल पिता नथई काछी
6. बबलू पिता नथई काछी
7. रामाश्रय काछी तनय नथई काछी अनावेदक क्रमांक 1, 2, 3 5 व 6, 7  
 निवासी ग्राम धनहा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०)

.....अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड  
 अधिकारी देवसर प्रकरण क्रमांक  
 108/अपील/2016-17 आदेश  
 दिनांक 08/05/2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
 भू-राजस्व संहिता 1959

वि० श्री प्रहलद  
 प्रहोत्री डाटा पेशा  
 5-5-18

समयलाल तनय दादे काछी  
 संकठ तनय दादे काछी निवासी ग्राम गजरहिया तहसील व थाना सरई जिला सिंगरौली (म०प्र०)



M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0/3212/भू-रा0/2018

जिला-सिंगरौली

सेतबन्धु द्विवेदी/विभान कुमार ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहात्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 108/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	